

प्र० अधिकारी
का नाम

मेरे एवं अधिकारी का नाम

श्रीमान् शशांत व्यापालय इमारि
पुनर्स्थापन- ५०१३/२०१८/इन्डॉ/३२

८६१२

निमित्त

श्रीमान् शशांत व्यापालय
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री
कानूनी विभाग
मुख्यमंत्री

अपीलाधी

मुख्यमंत्री
दिनांक ५०१३/६/१८
प्रधानमंत्री
उग्रवेदन पत्र असंति आग्रोहियों व सहपाठी घारा- १५।
एवं सह पठित घारा, ३२ मुख्यमंत्री सोहिता।

अपीलाधी लिखि निवेदन है कि:-

- १) प्रहृष्टि, प्र० अधिकारी के बच्चे का ज्ञानिय त्वरण
में व्यवराख हो गया था तो वहाँ से छोन औने पर में
तत्काल रक्तूत चला गया औंट घबराहट में ऊपरे
पक्षकार को भी द्वृतिल नहीं कर सका बच्चे को धर
छोड़ने के अपारे मैं जब मैं दोपहर व्यापालय उपस्थिति
हुआ तो मुझे शास हुआ कि प्र० अधिकारी के परवी
में निरस्त किया गया।
भर्ता: प्रहृष्टि आवेदन पत्र अविलम्ब प्र० अधिकारी के
पुनर्स्थापन है प्रमुख किया जा रहा है।
- २) प्रहृष्टि, आवेदन पत्र के समर्थन में व्यापालय संघर्षने हैं।
उत्तर: मी. व्यापालय से निवेदन है कि, उपरोक्त
परिवित्रियों तथ्यों के आलोक में व्यापालय में यह आवेदन
पत्र व्यक्तिकार किया जा रहा है प्र० अधिकारी के पुनर्स्थापन
है अधिक आदेश हो।
- ३) इन्डॉ

दिनांक २०/०६/१८

अपीलाधी लिखि अधिकारी

प्र० अधिकारी
अपीलाधी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Resto / ५०१३ / PB-२१४) भा-अ

निम्नलिखि

विरुद्ध

आमंत्र

तहसील

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17-7-2018	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक P.D. 20/6/18</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीयन किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि नाहा है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है /</p> <p>रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतीलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।</p>	प्रस्तुतकार प्रस्तुतकार अधिकारी अधिकारी उन्हें प्रतिवापन अवैद्य पत्र पर ५० दुनों रुपयों पुनरीक्षण अवैद्य पत्र विवरण दिया जाए है। शुल्क पुनरीक्षण उठाए अपील ३५४५/२०१८/इंदौर/स्टाप अधि. सुनवाई द्वारा दुनों नम्बर पर लिपा गया। यह पुक्करण समाप्त होने अपेक्षा

छ.७.८ A 3545
PB-218/12/2018
D.R 20/6/18

Noted
17/07/18
अधिकारी Noted
09/09/18
संलग्न वार्ता